नगर परिषद, भीलवाडा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम २००१ की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.ः

LSG/BHILWARA/FIRENOC/2024-25/34623

जारी दिनांकः

04-SEP-2024

वैधता दिनांकः

03-SEP-2025

चेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः

DURGA LAL DHAKAR

आवेदक का पताः

ALOK CENTRAL SCHOOL, KALYANPURA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन ALOK CENTRAL SCHOOL, NH-148D, VILL. KALYANPURA, TEH. SHAHPURA, BHILWARA RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्ते:-

- 1. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- 2. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से 1 वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।/
- 3. . अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- 5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- 6. भवन का मुख्य अञ्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थित में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- 8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- 9. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- 10. रोप लेंडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- 11. . यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- 12. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा
- 13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफट०प रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं वहा पर रुफट०प रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- 14. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।



Signed by: Hema Ram Issuing Authority: DC/EO/Commissioner Location: BHILWARA, Rajasthan Date: 04/09/2024 18:04:41

अग्निशमन अधिकारी नगर परिषद, भीलवाडा